Vol II Issue VIII Feb 2013

Impact Factor : 0.1870

ISSN No :2231-5063

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Golden Research Thoughts
Volume 2, Issue. 8, Feb. 2013
ISSN:-2231-5063
Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

GRT

"म.प्र. में लोक अदालतों की भूमिका के समालोचनात्मक अध्ययन अनुसंधान विधि का उपयोग

विश्वास चौहान. कुसुम चौहान

(स.प्रा.) शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)
(प्राचार्य) एम.वी.खालसा विधि महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

सारांश :–

"अनुसंधान" सामान्य अर्थ में ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है|
हम यह भी कह सकते है कि "अनुसंधान" एक विशिष्ट पर प्रामाणिक सूचना के लिए वैज्ञानिक एवं कमवध्द अध्ययन है|
"अनुसंधान" वैज्ञानिक अन्वेषण की एक कला है|
"अनुसंधान" एक अकादमिक गतिविधि के रूप में भी तकनीकी रूप से परिभाषित की जा सकती है|
"अनुसंधान" व्यक्ति समाज राष्ट्र को विकासे रास्ते पर अग्रसर करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण कहा जा सकता है|

अनुसंधान की परिभाषा -

एडवांस लर्नरर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार - "ज्ञान की शाखा के नवीन तथ्यों की खोज के लिए एक विशेष सावधानिक अन्वेषण या जांच अनुसंधान है|"
रेडमेन और मोरी के अनुसार - नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का एक कमवध्द उपाय अनुसंधान है|
क्लीफोर्ड वुडी अनुसार - "अनुसंधान" एक समस्या का चुनाव प्राकल्पना का निर्माण और उसके हल के सुझावों को एकत्रित करने वैज्ञानिक अध्ययन करने एवं डेटाओं का मूल्यांकन करने धारणाओं का निर्माण एवं उपसंहार ह्यनतीजोंह पर पहुंचने की प्रकिया के वाद प्राकल्पना को वास्तविकता में वदलकर समाधान करने की किया है|

अनुसंधान के उद्देश्य -

अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक विधि से प्रश्नों को हल करने का होता है|
अनुसंधान मुख्य रूप से अप्रकट सत्य जो अभी तक खोजा नहीं गया है को खोजता है|
अनुसंधान एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है|

विशेषताऐं -

अनुसंधान उपयुक्त हो|
अनुसंधान स्पष्ट हो|
अनुसंधान मापनता हो|
अनुसंधान तुलनात्मक हो|
अनुसंधान पुर्नपपरीक्षण किया गया|

अवधारणा की परिभाषा -

गुंडे एवं हन्ट के अनुसार :- सभी अवधारणाएं अमूर्त (ABSTRACT) होती है तथा वे यथार्तता (REALITY) के कुछ ही विशेष पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है|
एच.पी.फेयरचाइल्ड के अनुसार :- वे विशेष मौलिक संकेत जोकि समाज के वैज्ञानिक अवलोकन एवं चिंतन से निकाले गये सामान्यीकृत विचारों को दिये जाते है अवधारणा कहलाते है|
आरक्षित टिप्पर्णी अवधारणा वस्तुओं के एक वर्ग का विचार या सामान्य विचार होता है|

Title : "म.प्र. में लोक अदालतों की भूमिका के समालोचनात्मक अध्ययन अनुसंधान विधि का उपयोग
Source:Golden Research Thoughts [2231-5063] विश्वास चौहान. कुसुम चौहान **yr:2013 vol:2 iss:8**

अवधारणाओं को निर्माण की प्रक्रिया -

सामान्यीकरण
अमूर्तिकरण

अनुसंधान समस्या का चयन :-

"अनुसंधान" के लिए सर्व प्रथम एक समस्या का होना अति आवश्यक है जो या तो सैद्धांतिक या प्रायोगिक होती है और अनुसंधानकर्ता इसे अनुभव में आने पर हल ढूंढने के लिये प्रेरित होते है |

प्राकल्पना (Hypothisis) का निर्माण एवं परीक्षण -

प्राकल्पना "हायपोथिसिस" एक अंग्रेजी शब्द है जो Hypo अर्थात्Blow एवं Theory से मिलकर वना है जिसका अर्थ है Blow Theory अर्थात् सिध्दांत की पूर्व धोषणा करना |

परिकल्पना का निर्माण -

सर्वप्रथम "नवीन युक्ति" ध्यान से आती है एवं जिसका प्रारंभिक आक्लन एवं उपलब्ध साहित्य के अध्ययन या पुनर्निलोकन से पृष्टि होती है | उसका समस्या कथन एवं कियात्मक रूप मिलकर हायपोथिसिस का निर्माण करता है |

परिभाषाऐं -

वेगार्डस के अनुसार - प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना है |
मान के अनुसार - प्राकल्पना एक अस्थाई अनुमान है |

परिकल्पनाएं -

"स्वतंत्रता के पूर्व से वर्तमान मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए लोक अदालतों को एक सशक्त माध्यम वताया जाकर इससे विकास एवं प्रचलन को कागजीजामा पहनाया जा रहा है लेकिन वर्तमान में करोड़ों मामले पूरे देश की विभिन्न अदालतों मे लंवित है | लोक अदालतों का प्रचलन एवं जनता की भागीदारी वर्तमान में वढ़ी है लेकिन फिर भी लोग लोक अदालतों में मामले क्यों नहीं ला रहे हैं क्या लोगो में जागरूकता की कमी है ऋ या कोई और कारण है | जव इस संदर्भ में विचार करते है तो पाते है कि लोक अदालत को संचलित करने वाले निम्नलिखित अधिनियम है -

1 . विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम **1987**
2 . मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम **1996**
3 . मध्यप्रदेश में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित करने के लिए लोक अदालत स्कीम **1997** के अनुदेश **(9** जनवरी **1998)**

इसके अतिरिक्त वृहत रूप से निम्नलिखित विधिक विधियां है जो लोकअदालत को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विनियमित करती है -

1 . भारतीय संविधान अनुच्छेद **1438(1) 226**
2 . भारतीय दंड संहिता **1807**
3 . सिविल प्रकिया संहिता **1908**
4 . भारतीय दंड संहिता **1973**
5 . अन्य अनुदेश एवं विधियां

अक्त समस्त विधियां के अध्ययन उपरांत यह परिकल्पना की गई है कि इन विधियों के प्रति समस्त एवं अधिवक्ताओं का व्यवहारिक ज्ञान एवं जागरूकता उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए | यह भी परिकल्पना की गई है कि लोक अदालत से जुड़े न्यायाधीश इस संवंध में अपने उच्चअधिकारी के निर्देश पर अस्थायी कार्यकम के रूप में इनका संचालन कर रहे है तथा लोक-अदालतों का दुरूपयोग अपने समर्थकोंको लाभ पहुंचाने के लिए राजनैतिक संगठन एवं अन्य संगठन भी कर रहे है | तथा लोक अदालो की सरल प्रकिया अथवा अन्य कारणों से लोक अदालत से शरण लेते हैं |

यह भी परिकल्पना की गई कि लोकअदालत प्रकिया में कई लूप होल है | जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है | इसके अलावा पक्षकारों में मुआवजा राशि के प्रति असंतोष अधिवक्ताओं में फीस के प्रति असंतोष तथा न्यायाधीशगण अवकाश दिनों में लोक अदालातों के आयोजन को वोझमानकार काम करते है | तथा लोकअसलतों के सफल एवं सार्थक कियान्वयन के लिये आवंटित वजट एवं अन्य अधोरचना का भी अभाव है | साथ ही लोक अदालतों के आयोजन में राजनीतिज्ञ दखल होने की भी सूचना है | यह भी परिकल्पना की गई कि पर्याप्त जागरूकता एवं ज्ञान के अभाव में वल कपट क्षल दवाव में किसी पक्षकार की स्वीकृति लेना पारित पंचाट की अंतिमता न्यय के उद्देश्य को नष्ट तो नहीं करती ? तथा प्रिलिटीगेशन सम्वधी मामलें भी लोक अदालत में आना क्या अधिवक्ताओं की भूमिका को कम नहीं करता ? क्या विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न धाराओं का दुरूपयोग न्यायालय में हाजिर होने की वान्धता से वचने के लिये तो नहीं किया जा रहा है |

विविध सेवा प्राधिकरण के विभिन्न प्रावधानों में लोक अदात की आपराधिक अधिकारिता पार्याप्त है | यह भी परिकल्पना की गई थी कि सार्वजनिक सेवा जुडे उपकमों जो कि जैसे टेलीफोन विजली वीमा वैंकिग अस्पताल नगर निगम आदि के प्रकरणों के सम्वन्ध में लोक अदात की भूमिका पर्याप्त है |

इन्हीं मुद्दों के सम्वन्ध में विभिन्न ग्रंथों रिपोर्ट न्यायालयों के निर्णयों का अध्यायन का विभिन्न परिकल्पनों को लोक अदालतों की भूमिकाओं को और अधिक सार्थक वनानें के लिये आलोचनात्मक दृष्टि से की गई है |

भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किये जाने पर जोर दिया गया हैं | संविधान के भाग **3** और भाग **4** में कमशः मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिध्दांतों का समावेश समाजवादी लक्ष्य की ओर संकेत करता है | संविधान की सर्वोपरिता वनाये रखने में न्यायालयों का योगदान महत्वपूर्ण होता है |

भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्लोकतांत्रिक शासन के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ आमूल परिवर्तन किये गये ताकि समाज के सभी वर्गो को न्याय के समान अवसर उपलब्ध हो सकें |

भारत की वदलती हुई सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह अनुभव किया गया कि परम्परागत रूढ़िवादी न्यायिक प्रकिया की जटिलताओं तथा तकनीकियों को उदार वनाकर एक ऐसी नई व्यवस्था अपनाई जाए जिससप प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय प्रदान करना आसान हो और नायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास वना रहे | इस दृष्टि से भारत सहित प्रायः सभी विकसित एवं विकासशील देशों ने यह स्वीकार किया है कि मानव अधिकार केवल एक कागजी घोषणा न होकर मानव के गरिमामय विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है | ये केवल सामाजिक व आर्थिक अीधकारों तक सीमित न रहकर इनका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है ऽ तथा इनमें न्यायिक आधिकारों के अलावा नैतिक सांस्कृतिक एवं भौतिक मूलभूत आवश्यकताओं का भी समावेश है जो मानवीय गरिमा के लिये महत्वपूर्ण है |

रावर्टसन ने मानव अधिकार को परिभाषित करते हुये कहा है कि ये ऐस मूलभूत हैं जो संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पुरूष स्त्री तथा वालक को हक के रूप में प्राप्त है | क्योंकि उसनो मानव के रूपमें जन्म लिया है |

सामण्ड ने विधि को मानव आचारण को नियंत्रित करने वाला साधन निरूपित किया है ऽ मानव को अपने संव्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण करने के लिये विधि की जानकारी होना आवश्यक है | यही कारण है कि वर्तमान जीवन की सामाजिक जटिलताओं से जूझने के लिये जनसाधारण को विभिन्न कानूनों की जानकारी कराना राज्य का परम कर्तव्य है |

भारत की वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों तथा सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये भारतीय विधिशास्त्र के क्षेत्र में भी अनेक जनकल्याणकारी प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं जिनमें

1 . विधिक साक्षरता
2 . निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता
3 . लोक अदालतें तथा
4 . लोकहित वादों की पध्दति विशेष उल्लेखनीय हैं | इनके द्वारा जनसाधारण को सामाजिक न्याय दिलाने में सुविधा हुई है तथा विवरणात्मक न्याय की कल्पना का कियान्वयन संभव हो सका है |

प्रस्तावित अध्ययन / शोध में इंटरनेट का उपयोग एवं इसकी सीमाऐं -

वर्तमान yauga Information Technology का युग हैं | संसार के सारे कार्य उपगहीय स्पेक्ट्रस पर आधारित इंटरनेट "अंतरताना" से चल रही है | अनुसंधान में इंटरनेट का प्रयोग देखने से पहले जरूरी है कि अपने "अनुसंधान" के लिए उपलब्ध सामग्री वाली वेवसाइट्स की सूची वना ली जाये एवं उक्त वेवसाइट्स को ढूंढने या पहुंचने के लिए उपर्युक्त "सर्च इंजन" भी चुन लिया जाये आजकल "गुगल कोमा" एक फास्त सर्च इंजन है | अपने मार्गदर्शन से निरंतर संदेश के लिए ईमेल का उपयोग समय एवंश्रम की वचत वाला होगा |

सीमाऐं -

चूकि इंटरनेट पर अनुसंधान के लिए सामग्री वहुतायात एवं अर्नर प्रकार की हो सकती है | इसलिए उनका चयन एवं उपयोग में लापरवाही या असावधानी अनुसंधान को खर्चीला या विलेनकारी वना सकता है | अतः अपने शोध में मौलिकता के लिए सीमित एवं सार्थक उपयोग की सावधानी रखना चाहिए |

शोध विधि (Research Methodology) की परिभाषा -

अनुसंधान एवं अनुसंधान विधि दोनों अलर्गअलग मानी जा सकती है |

अनुसंधान के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी सर्वे साक्षात्कार इत्यादि आते है |
अनुसंधान विधि के अंतर्गत उक्त कार्य करने की वैज्ञानिक एवं कमविधि शामिल होती है |
"अनुसंधान" जव वैज्ञानिक पध्दति उपकरण सिध्दांतों तथा तार्किक प्रकियाओं के आधार पर किया जाताा है तो वह वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है |
वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्ध ज्ञान की विश्वसनीयता प्रमाणिकता और सत्यता की जांच की जाती है | यह कार्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है जिसे अनुसंधान विधि कहते है |

रिसर्च मेथोडोलाजी अनुसंधान विधि -

प्रोफेसर "हर्स्ट" के अनुसार

"विधिक अनुसंधान इसके विशिष्ट क्षेत्र से संवंधित निश्चित सीमाओं के अंदर ही विचरित होता है क्योंकि यह विचारों पर आधारित नहीं होता है वरन्वर्त ममन विधि व्यवस्था को सही रूप से प्रकट करता है |"

Semple collection and analysis विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण का परिणाम एवं आंकलन -

उच्च न्यायालय जवलपुर एवं खंड पीठ ग्वालियर एवं इन्दौर के क्षेत्राधिकार में विभिन्न जिला एवं तहसील न्यायालयों जानकारी प्राप्त की गयी लोक अदालत सम्वन्धी मामलों का प्रतिशत जवलपुर में **50** प्रतिशत ग्वालियर में **30** प्रतिशत एवं इन्दौर में **20** प्रतिशत है | सर्वाधिक प्रतिशत जवलपुर का है |

प्रथम लोक अदालत का आयोजन सन **1982** में महात्मा गांधी की भूमि जूनागढ़ गुजरात में हुआ | लोक अदालत ने सफलतापूर्वक न्याय मोटरदुर्घटना दावा

DSpace™

प्रकरण वैवाहिक पारिवारिक विवाद लोक सेवा के मामलो जैसे - फोन बिजली बैंक वसूली मामलें आदि किया | उक्त धारणा के संबंध में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा नवम्बर **2008** तक विभिन्न न्यायालयों में निराकित एवं लंबित मामलों की जानकारी का अध्ययन करना आवश्यक है |

मध्य प्रदेश में पूर्ण पीठ जबलपुर एवं खंड पीठ इन्दौर एवं ग्वालियर के संयुक्त सांख्यकिय आंकड़ों का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुचन्ते है कि तीनों न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में एक नवम्बर **2008** की स्थिति में कुल मामले **190264** पेडिंग थे इनमें नवम्बर **2008** के अन्त तक **7430** नये शामिल हुये तव यह संख्या वढ़कर **197894** हुई इन मामलों में से **8848** मामले सामान्य न्यायालयों द्वारा एवं मात्र **234** मामले ही लोक अदालतों द्वारा निस्तारण किया जा सका | यह स्थिति लोक अदालतों की भूमिका की एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करती है |

एवं लोक अदालतों के वर्तमान स्वरूप के प्रवर्तन एवं प्रभाव की नकारात्मक छवि वनाती है | जिसे सुधारना ही इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है | मध्यप्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में लंवित एवं पेंडिंग मामलों की संख्या पर लोक अदालतों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है | इस संवंध में और अधिक जानकारी के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदर्शित सांख्यकीय आकंडो पर भी एक नजर डालने की आवश्यकता है | मध्यप्रदेश में सत्र **2001** से **2007** तक लोक अदालतों का ग्राफ तेजी से नीचे आया है | तथा लाभांवित व्यक्तियों की संख्या अवश्य वढ़ी है लेकिन लंवित मामलों की तुलना में यह ऊठ के मुँह में जीरे समान है तथा आयोजित लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की संख्या **2003** के वाद कम हुई है | उपरोक्त तस्वीर मध्य प्रदेश राज्य की है | परन्तु मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में लोक अदालतों की भूमिका का अवलोकन करना भी इस लिये जरूरी है कि कही अन्य राज्यों में लोक अदालत सार्थक सिध्द तो नहीं हो रही | इस सम्वन्ध में सर्वेक्षण के अन्तर्गत भारत के उन्नत राज्य गुजरात से लोक अदालत के सम्वन्ध में सांख्यकीय आंकदे प्राप्त किये गये | निम्नानुसार है :-

GAJARAT STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

TABLE - A

Period	Lok Adalats			Lok Adalats for motor accident cases					Legal Literacy Camps held
	Held	Cases dealt With	Cases dispose Of	Held	Cases deal with	Cases dispose of	Compe Sation Awards (Rs in crores)	Other Compe Sation (Rs in crores)	
Mar1992 toDec1997	1470	2,51,38	1,98,14	48	44,6	32,874	113.2	NIL	601
1998	2529	3,15,15	2,96,71	25	12,8	10,488	67.66	NIL	7619
1999	6580	2,45,90	2,11,17	27	14,2	10,952	55.2	NIL	30,385
2000	4530	5,53,79	5,13,78	23	15,2	12,874	77.24	9.794	25,456
2001	2807	1,35,35	1,20,23	80	3764	2904	23.26	73.213	6660
Total (1998 to 1-9-2001)	16,4	12,50,2	11,41,9	84	46,1	37,218	223.36	83.007	70,120
Grand Total (March1992 to August 2001)	17,9	15,01,6	13,40,0	13	90,7	70,092	336.56	83.007	70,721

DSpace™

Table - B

Sr. No.	Particulars	Years			
		1998	1999	2000	2001 (till 30-06-2001)
1.	Number of Lok Adalats held	2529	6580	4530	2152
2.	Per day Lok Adalat held	7	18	12	6
3.	Expenditure (in Rs towards Lok Adalat)	4,41,791	7,18,569	4,41,487	1,49,947
4.	Cost (in Rs) per Lok Adalat	174.69	109.00	92.61	68.25
5.	Number of cases Settled in Lok Adalat	3,07,201	2,11,179	5,13,787	87,264
6.	Cost per case settled in Lok Adalat	0.69	3.40	0.83	1.69
7.	Per day disposal of cases settled in Lok Adalat	842	578	1427	485
8.	Total disposal of motor accident petitions	10,488	10,952	12,874	984
9.	Total Amount (in Rs) awarded in MA petitions	67.66	95.20	77.24	8.80
10.	Per day disposal in Lok Adalat for MA petitions	29	30	48	5
11.	Legal Literacy Camps held	7619	30,385	25,456	5354
12.	Per day Legal Literacy Camp held	21	83	71	30
13.	Expenditure towards Legal Literacy Camps	1,04,212	3,27,868	2,32,328	58,112
14.	Number of persons benefited through LL Camps	19,04,750	75,96,250	63,64,00	13,38,500
	Males	12,36,034	52,23,300	40,09,320	8,29,870
	Females	6,68,716	23,72,950	23,54,680	5,08,630
15.	Cost per individual for Legal Lieracy Camp (Rs)	0.05	0.04	0.03	0..05

Table - C

S No	Particulars	1996	1997	1998	1999	2000	Up to 31-08-01	Grand Total
1.	Pre-litigation cases settled				9751	11,766	4882	26,399
2.	Execution petitions cases settled					3361	924	4285
3.	Under Section 138 of the Negotiable Instruments Act							
	Cases settled	206	373	1018	2106	3161	1554	8418
	Compensation awarded (App.Rsinlakhs)	6.33	1.20	35.56	45.91	814.55	157.18	1060.73

PERMANENT LEGAL-AID CLINIC

Table - D

As on 31-8-2001

S.No.	Particulars	1999	2000	2001	Grand Total
1 </.< TD >	Cases received in Permanent Legal-Aid Clinic	881	3462	1,878*	15,221*
2 </.< TD >	Cases settled in Pernanent Legal-Aid Clinic	881	3076	1756	5713
3.	Para-legal training camps organized	--	55	7	62

*** Includes 8031 cases relating to M/s Golden Forests Ltd.**

Table - E

Categorywise details of consultants visiting permanent legal-aid clinic :

S.No	Category	Number
1.	Retired High Court Judges	7
2.	Retired Judges of subordinate Courts	2
3.	Retired Government Officers	5
4.	Serving Judicial Officers	7
5.	Advocates	40
6.	Social Workers	3
Total		**64**

उपरोक्त के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मार्च **1992** से अगस्त **2001** तक ही आंकड़े प्राप्त हुये जिसमें लगभग **11** वर्षों में **15** लाख मामले लोक अदालतों में आये जिसमें से लगभग **13** लाख मामले निस्तारित किये गये | लेकिन सबसे चौकाने वाली बात यह है कि सन **2000** के बाद लोक असलतों में आने वाले एवं निस्तारित मामलों की संख्या एक चौथायी से भी कम रह गयी | जो लोगों में लोक अदालतों के प्रति विश्वास कम होने का एक उदाहरण है |

अतः मेरे इस शोध में मेरे स्वयं के द्वारा अपनी परिकल्पनाओं पर आधारित सर्वेक्षण की गई रिपोर्ट एवं अन्य राज्यों की सर्वेक्षण स्थिति यह स्पष्ट करती है | भारतीय संविधान में लागों को प्राप्त अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये लोक अदालतों के वर्तमान प्रकियात्मक उपबन्धों एवं शासकीय प्रबन्धों में नितिगत सुधार की महति आवश्यकता है | ताकि लोगों की आपसी समझोते के आधार पर अपने मामलों को सुलझाने में सहायता प्राप्त हो एवं खर्चीली तथा विलंबकारी न्यायप्रणाली से सुरक्षा प्राप्त हो सकें |

शोध की तकनीक :-

प्रस्तुत शोध में परिकल्पनाओं अधारित सर्वेक्षण की तकनीक अपनायी गयी है | जिसमें विभिन्न संहिताओं का अध्यायन कर विभिन्न परिकल्पनाओं की गयी एवं उन परिकल्पनाओं की सत्यता परखने के लिये मध्य प्रदेश के मध्य भारत एवं महाकौशल क्षेत्र में अधिवक्ताओं न्याधीशगणों पक्षकारों विधिविद्यार्थीयों से चर्चा उपरान्त निष्कर्ष निकाले गये इसमें प्राप्त निष्कर्षों एवं जानकारियों का सांख्यकीय विश्लेषण किया गया | सम्पूर्ण शोध में विधि प्रावधानों का विशलेषात्मक अध्यायन सर्वोच्य न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को निर्णयों का समालोचनात्मक अध्यायन तथा सर्वेक्षण किया गया है | तथा वैज्ञानिक पध्दति से कल्पनाओं का परिणक्षण करण करके परिणामों का निष्कर्ष प्राप्त किये है |

विश्लेषण (Analyasis)

भारत की मौलिक न्याय प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अत्यंत प्रभावशाली थी जिसमें सुबह़ वार्ता तथा मध्यवस्था आदि तरीकों द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता था | किन्तु अंग्रेजो ने यहां पर जटिल प्रकियात्मक विधियों एवं सूत्रों को लागू किया जिसका परिणाम विलंबित न्याय के रूप में समाने आया साथ ही न्याय व्यवस्था काफी खर्चीली हो गई | सन्**1924** में बाम्बें लीगल एड सोसायटी नेससरल पंचायती राज प्रकियाओं को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया | डॉक्टर अम्बेडकर तथा ठाकुर दास भार्गव के संयुक्त प्रयासों से अभियुक्त को अपना वकील चुनने तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का संवेधानिक अधिकार प्राप्त हुआ | सन्**1776** तक विधिक सहायता के वल यही एक मात्र प्रावधान लागू था | इस दौरान विधि आयोग की **14** वीं रिपोर्ट **1958** तृतीय अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन **1962** विधिक सहायता कार्यकम चलाए जाने की आवाज उठाई गई | अन्तत न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में इस विषय पर विचार करने के लिए एक न्यायिक समिति का गठन किया गया | **42** वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद **49** (अ) जोड़ा गया तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का कर्तव्य राज्य पर आरोपित किया गया | संविधान के समवर्ति सूचि में प्रविष्टि **11** (क) के जोड़े ने से विधिक सहायता को और व्यापक तौर पर लागू करने में सहायता मिली |

इसी बीच हुस्नआरा खतून बनाम बिहार राज्य **1979** एस . सी **1369** तथा हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य के सन् **1978** एस . सी . **1369** के मामलों में भारत के सर्वोच्चय न्यायालय ने भी एक प्रभाव कारी विधिक सहायता कार्यकम की आवश्यकता पर बल दिया |
इन सभी घटनाओं को सम्मिलित विधिक सेवा प्राधिकारी अधिनियम **1987** के रूप में सामने आया |

सन **1980** में न्यायमूर्ति पी . एन . भगवती की अध्यक्षता में गठित विधिक सहायता कार्यकम को लागू करने संबंधी समिति के प्रयासों से सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए विधिक सहायता कार्यकमों का एकरूप मॉडल तैयार किया गया |

वर्तमान में महाराष्ट्र गुजरात़ मध्यप्रदेश केरल़ दिल्ली़ आन्ध्र प्रदेश़ कर्नाटक तथा छत्तीसगढ राज्यों में लोक अदालतें उल्लेखनीय कार्य कर रही है | इन अदालतों में आपराधिक तथा दीवानी मामले़ वैवाहिक़ विवाद़ भरण पोषण़ राजस्व़ मोटर याऩ बीमा़ पराज्म्य लिखत आदि के प्रकरण तत्परता से निपटाये जाते हैं | इन अदालतों में विवादितों को न तो कोई फीस देनी पडती है और न वकीलों की सहायता की आवश्यकता होती है | पक्षकार आमने सामने आकर आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से अपना विवाद तय कर लेते है |

लोक अदालत को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के लिये निम्नलिखित सुझाव कारगर सिध्द हो सकते हैं -

1 . लोक अदालतों में विधि व्यवसायियों न्यायाधीशो और जिला प्रशासको का अधिक सकिय योगदान आवश्यक है |
2 . लोक अदालतों का समयबध्द आयोजन करने हेतु जिलाधीश को आवश्यक अधिकार दिये जाने चाहिये | यदि लोक अदालत को एक स्थायी संस्था के रूप में विकसित किया जाए़ तो इसके अच्छे परिणाम निकलेंगें |
3 . लोक अदालतों में राजनीतिज्ञों की उपस्थित अनावश्यक है अतः इन्हे लोक अदालत की कार्यवाही से दूर ही रखा जाना बेहतर होगा |
4 . आंतरिक अंचलों में लोक अदालत के दिनांक स्थान तथा समय आदि की पूर्व सूचना चलित वाहनों द्वारा प्रसारित की जानी चाहिये | इसका दायित्व ग्राम पंचायतों पर सौंपा जाना अधिक प्रभावी सिध्द होगा |
5 . कुछ लोगों ने लोक अदालत पंचाट को अंतिमता दिये जाने की आलोचना की है क्योंकि इससे इनके विरूध्द अपील की जाने का प्रावधान नहीं है | उनका मानना है कि अपील न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व है़ फिर लोक अदालतों के पंचाट को अपील से मुक्त क्यों जाए ? परन्तु लोक अदालत के पंचाट को संविधान के अनुच्छेद **226** के अंतर्गत को अपील पुनरीक्षण चाचिका द्वारा चुनौती दी जा सकने का प्रावधान होने के कारम आलोचकों के पेरोक्त तर्क का कोई औचित्य नहीं है |
6 . विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा **20 (2)** में यह उपलंबित है कि पक्षकारों द्वारा आवेदन दिया जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्री लिटिगेशन मामले ह्य ऐसे मामले जिनके लिये किसी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया है और जो किसी न्यायालय में लंबित नहीं है ह़ लोक अदालत को निपटारे हेतु भेज सकता है | परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या पक्षकारों से आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनके ऐसे मामले भी लोक अदालत को प्रेषित कर सकता है जो किसी न्यायालय के विचाराधीन लंवित है | उचित होगा कि किजला विधि सेवा प्राधिकरण को ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में भेंजे जाने हेतु अधिकृत किया जाए | केवल यही नहीं़ लोक अदालतें स्थायी तौर पर आयोजित करने का दायित्व भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपा जाना उचित होगा |**1**
7 . विवाद (प्रकरण) लोक अदालत में हस्तांतरित होते ही उसके संबंध में न्यायालय में चल रही विचारण कार्यवाही तर्बतक के लिए स्वयमेव रोक दी जानी चाहिए जब तक कि लोक अदालत में उस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता है |
8 . पक्षकारों द्वारा प्रकरण को न्यायालय से लोक अदालत में हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा लोक अदालत द्वारा पक्षकारों कोदिये गये प्रमाणपत्रों को कानूनी दस्तावेज मानते हुए उनकी न्यायालय में उपस्थिति से छूट के लिए पर्याप्त कारम माना जाना चाहिए और उपस्थिति में व्यतिकम (default) के लिए उनके विरूध्द कोई कार्यवाही नहीं की जाना चाहिए |

DSpace™

9 . लोक अदालतों को यह अधिकारिता प्रदान की जानी चाहिए कि वे विचाराधीन कैदियां से आवेदन प्राप्त होने पर उनके मामलों में समझौता या सुलह कार्यवाही कर सकें तथा इस हेतु उन्हें लोक अदालत में पेश होने हेतु निर्देश जारी कर सके |**2**

10 . यदि लोक अदालतों द्वारा विवादी पक्षकारों के मनोवैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुलझाने के प्रयास किये जायें तो विवादों की संख्या में और भी कमी लाई जा सकहती है | अतः यदि लोक अदालतों में समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों अपराधशास्त्रियों तथा समाज सेवी व्यक्तियों का मिलाजुला दल गठित करके उसे पक्षकारोंसे साक्षात्कार कर उनकी समस्याओं के निदान करने प्रयास करने का कार्य सौंपा जाए तो यह एक अच्छी पहल होगी | इस कार्य में प्रचार प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं | नुक्कड़ नाटकों को आयोजित करके भी पक्षकारों की कुत्सित मनौवैज्ञानिक भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है |

11 . लोक अदालतों की आपराव्रिक अधिकारिता को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है ताकि दंड न्यायालयों में वर्षो लंवित पड़े आपराधिक मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकें और संविधान के अनुच्छेद **21** में व्यक्ति को प्राप्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार कोक सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि विचारण का अधिकार भी इसी अधिकार का एक परोक्ष तत्व है |

12 . किसी मामले के संवंध में कोई पूर्व वाद न होने पर भी लोक अदालत उसे समझौते या परिनिर्धारण द्वारा निपटा सकती है | परंतु ऐसे मामले में दिये गये लोक अदालात के पंचाट निर्णय का प्रवर्तन किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा इसका उल्लेख विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा **21** में नहीं है | इस अधिनियम का यह गंभीर दोष है जिसका निवारण किया जाना आवश्यक है |

13 . विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम **1987** के अध्यायाद्य के अंतर्गत पक्षकारों की सहमति के अभाव में उनका प्रकरण उस न्यायालय को वापस लौटा दिया जाता है जहॉ से वह लोक अदालत के पास निर्णयार्थ आया था अतः यदि अधिनियम द्वारा लोक अदालतों कोप्रकरण को गुणगुण के आधार पर निपटाये की अधिकार शक्ति प्रदान कर दी जाये तो यह समस्या पर्याप्त सीमा तक हल हो सकती है |

14 . इसी प्रकार यदि सार्वजनिक सेवा से जुड़े उपकमों संवंधी प्रकरणों को भी प्रीलिटिगेशन स्तर पर ही लोक अदालतों द्वारा सुलझा लिया जाए तो उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और उन्हें ऐसे मामलों को निपटारे के लिए न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे |

यदि उपर्युक्त सुझावों को कार्यान्वित किया जाये तो लोक अदालत व्यवस्था की कार्यक्षमता एवं कुशलता में निश्चित ही वृध्दि होगी और देश के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई वर्ष **200304** की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में देश भर में आयोजित लगभग **40000** लोक अदालतों ने **12** . **2** लाख प्रकरण निपटाये हैं | जिनमें **40** . **970** मोटरयान दुर्घटना के मामले थे जिनके लिए पीड़ित पक्षकारों को **667** . **60** करोड़ रूपये प्रतितोष (हर्जाने) के रूप में दिलाये गये है | अन्य प्रकरणों में पारिवारिक विवाद छोट-मोटे सिविल एवं आपराधिक मामले भूमि अर्जन संवंधी विवाद आदि शामिल थे | इस रिपोर्ट में निष्कर्ष रूप में भारत की औपचारिक मामले भूमि अर्जुन संवंधी विवाद आदि शामिल थे |

इस रिपोर्ट में निष्कर्ष रूप में भारत की औपचारिक न्याय व्यवस्था की विफलता को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि लोक अदालत के पंचाट निर्णय विवादी पक्षकारों को गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार्य नहीं होते वल्कि न्याय प्रणाली में विलंव अनिश्चिता अत्याधिक खर्च आदि जैसे नकारात्मक कारणों से वे लोक अदालत मे समझौते हेतु सहमत हो जाते है **3** इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अनुभव किया गया कि विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम **1987** में आवश्यक संशोधन करके इसे अधिक प्रभावी एवं लोकोपयोगी वनाये जाने की आवश्यकता है ताकि समाज के दलित गरीव एवं सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से साधनहीन व्यक्तियों को न्याय सुलभता से प्राप्त हो सके |

वर्तमान भारतीय न्याय प्रणाली को ब्रिटिश शासन की देन माना जाता है जिसने विगत पचपन वर्षो में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुये केवल भारत में ही नहीं वरन्में एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है परंतु देश की चहुमुंखी प्रगति तथा सामाजिक आर्थिक औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास के कारण न्यायालयों में सिविल आपराधिक राजस्व एवं औद्योगिक विवादों की संख्या इतनी अधिक वढ गई है कि उन पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया है | इसीलिए विगत दो दशकों से न्यायालयीन व्यवस्था के वैकल्पिक साधनों की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है |

संदर्भ सूची :-

वक्शी पी . एम -एम . डी . आर (वी . ओ . एल . पार्ट प्रथम) ए . मी . टी . लॉ रिव्यू **43** .
यूनिसिट्राल कोनिसलेशन रूल्स **1986** .
राजन आर . डी . प्रिव्य ऑन आर्वीट्रेशन एडं कोनिसलेशन **19** व संकरण
भारतीय लॉ पब्लिकेशन **2005**
रामा स्वामी जे . लीगल एड न्यूज लेटर दिसम्वर **1995**
सोशल जस्टिर्सकॉम्वेट लॉ वोल्यूम **6** ईश्यू **1** जनवरी **2007**

1 . देखे दण्ड प्रकिया संहिता महावीर सिंह धारा **320** पृ **287**
2 . देखे माध्यस्थम व सुलह अधिनियम की धारा **72**
3 . देखे माध्यस्थम व सुलह अधिनियम का भाग **3** धारा **75**
4 . डॉ . ए . एम . सिंघवी द्वारा दिया गया भाषण का अंश
5 . WWW. Praveen Dalal. Com/Article
6 . देखे माध्यस्थम व सुलह अधिनियम **1996** धारा **2** वाणिज्यिक संवंध की परिभाषा . भेयर एम्ट
7 . ऑन लाईन डिस्पुट रिसोल्यूशन प्रवीण दलाल डाट कॉम |
8 . देखे भारतीय संविधान वेयर एम्ट अनु **39** (क)
9 . देखे भारतीय संविधान ब्रजकिशोर शर्मा अनु **2** पृ **101**
10 . ए . आई . आर . **1986** एस . सी |
11 . देखे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा **1945** अश्विन एनकारिया **2005**
12 . अनु . **7** पृ . **188**
13 . अनु . **8** पृ . " . . . "
14 . अनु . **10** पृ . " . . . "
15 . देखे सिविल और राजनैतिक अधिकारें पर आंर्तराष्ट्रीय प्रंसविदा खण्ड **3**(घ) अश्विन एनकारिया पृ . **193**
16 . देखे विधि आयोग की चौदहवीं रिपोर्ट

17 . देखे विधि आयोग का 41 का प्रतिवेदन (1969)
18 . देखे विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12
19 . देखे विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20(1)
20 . देखे धारा 20 (1) घ
21 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 20 (1) का परन्तुक
22 . देखे सुधा अवस्थी लोक अदालत
23 . देखे सी . पी . सी . लोक अदालत
24 . ए . आई . आर . 1995 एस . सी . 553 मैसूर
25 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 20 (4)
26 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 5 (ll)
27 . सिमोऩ द आइडियोलॉजी ऑफ एडवोकेसी प्रोसिजरल जस्टिस प्रोफेशनल़ विस्कोसिन लॉ रिव्यू 1978
28 . पी . सी . जुनेर्जाहव्वल एक्सेस टू जस्टिस़ ब्राइट लॉ हाऊस़ रोहतक (1993)
29 . देखे विधिक सहायता प्राधिकरण अधि . की धारा
30 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा
31 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा
32 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (ख) (1)
33 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (ग)
34 . ए . आई . आर . 1979 एस . सी . 855
35 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की थारा 22 (ख)
36 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की थारा 22 (ग)
37 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की थारा 22 (घ)
38 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की थारा 22 (ध)
39 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की थारा 22 (3) तथा 22 (ई)
40 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की थारा 22 (1)
41 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (5) (6)
42 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (8)
43 . देखे औद्योगिक विवाद अधि . की धारा 2 (24) डॉ . गंगासहाय शर्मा पृ . . . . . .
44 . देखे भारत का संविधाऩ ब्रजकिशोर शर्मा द्वितीय संस्करण पृ . कं . 117
45 . ए . आई . आर 1997 एस . सी . 1124
46 . ए . आई . आर 1990 एस . सी . 2140
47 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (बी)
48 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (सी)
49 . देखे सिविल प्रकिया संहिता़ डॉ . बसंतीलाल बावेल़ धारा 9
50.Establishment of Permanent lok adalat A Bane or boon. Article AIR 2003 Journal P.125
51 . एल . चन्द्राकुमार वर्सेस यूनियन अऑफ इंडिया ए . आई . आर . 1997
52 . देखे उपभोक्ता संरक्षण अधि . 1986 की धारा
53 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (बी)
54 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (बी)
55 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (ए) (बी)
56 . देखे विधिक सेवा प्राधिकरण अधि . की धारा 22 (सी)
57 . देखे सिविल प्रकिया संहिता़ बावेल
58 . ए . आई . आर . 2000 एन . डी . डी . अधि . एम . पी . 201 ए . आई . आर . 2000 एम . पी . 30 .
59 . अल्क खुमर उ्पता़ृ एस्एारच्द्ध श्च्ढ्ेलर झवहारलल ण्एहारु छस्हिव्वदियलय थुस्ति छेमुन्स्ति छएन्तरए़ ान्दाि .
60.J.P. Yadav Parallel Powers in Bihar, Outshine III Equipped Rabri Devi Asian Age Sep.28, 1997
61.Raw Rhodes - Understanding governance (1997)
62.Raw Rhodes - Understanding governance (1997)
63.Shouri, Supra hote 106 Act 52-53
64 . व्हिटसऩ सुप्रामोर पी . 411-426
65 . धारा 19 (2) विधिक सेवा प्राधिकरण . अधि . 1987
66 . धारा 19 (3) विधिक सेवा प्राधिकरण . अधि . 1987
67 . धारा 21 (2) विधिक सेवा प्राधिकरण . अधि . 1987
68 . धारा 19 (3) विधिक सेवा प्राधिकरण . अधि . 1987
69 . देखे मेयर गेलेनेटर दि रेडिएटिंग इफेक्टस ऑफ कोर्टस इन इप्प्रेशियल थ्योरीज अवाउट कोर्टस 117-42 (के)
70 . ब्यूम और एल . मेथर संस्करण 1983
71 . देखे मेयर गेलेनेटर एंड मिया केविल मोस्ट केसेस सेटल | ज्यूडिसियल प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ सेटलमेंट़
72 . 46 स्टेंड फोर्ट लॉ व्यू 1301 (1994)
73 . देखे गुप्तेश्वर सुप्रा नोट 131 से 174
74 . सिराज सिधवा़ लोक अदालत क्विक फारमल न्याय लेक्स एट ज्यूरिस 36-38 (1986)

DSpace™

75 . एन . आर . माधवमेवन लीगल एड एंड जस्टिस फॉर द पुअर |
76 . देखे इहोदोस ऐटल सुप्रा नोट **20 41** से **51**
77 . वियान्ड डिस्पुटिंग एक्सप्लोरिंग लीगल कल्चर इन फाइव यूरोपियन कन्ट्रीस **1991**
78 . रूसेल कोरोक्किन एंड चीनस गुटरी साइकोलॉजी इकानामिक्स एंड सेटलमेंट ए न्यू लुक एट दि रोल ऑफ लॉयर **76** टेक्स एल . नेर **(1997)**
79 . मेयर ग्लेनेटर भोपाल पास्त एंड प्रजेन्ट दि चेजिंग लीगल टू मॉस डिसास्टर **151-154 (1990)**
80 . ग्लेनेटर लीगल तोरपर सुप्रा नोट **169** एट **280** से **281**
81 . ग्लेनेटर भोपाल सुप्रा नोट **192** एट **154**
82 . ग्लेनेटर भोपाल सुप्रा नोट **192** एट **154**
83 . ग्लेनेटर भोपाल सुप्रा नोट **192** एट **154**
84 . इंडिया टूगेडर **15** मार्च शनिवार **2008** एक्सेस टू जस्टिस्
85 . देखे गुप्तेश्वर सु . प्र . नोट **13** से **174**
86 . देखे दीवान सु . प्र . नोट **124**
87 . देखे मार्क एक्ट व्हाड दहेव्स कम आऊटर अहेड स्पेक्यूलेशन ऑफ द लिमिटस ऑफ लिगन चेन्जा **119** से **120** ह्य**1474**ह् लॉ एंड सोसायटी
88 . देखे दीवानी सु . प्रो . नोट पेज . नं . **124**
89 . देखो मार्क गेलेन्टर **119** . **20** सूवेववपमजल रिव्यूध्द
90 . अमेरिकन न्यूज पेपर से उदघृत |
91 . देखे निधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा **21 (2)**
92 . देखे सिविल प्रकिया संहिता **5** वंसती लाल बांवल
93 . देखो भारत का संविधान डॉ . जयनारायण पांडे पृण्ढ . . . अनु . **226**
94 . ए . डी . आर . . . . .
95 . मलयालम न्यूज पेपर से उदघृत |
96 . सुप्रा . नोट्स |
97 . विधिक भट्ट WWW/Legal service of India. Com.
98 . F.S.Mariman "Alternative Dispute Resolution" 1st ed 1997 P. **45**
99 . फे . ई . ए . सेन्डर एक्ट स्टीफेन वी . कोल्डवर्ग फिटिंग व फोरम टू . द . फूस प्रथम **1997** पे . **338**
100 . Supra mote **22**
101 . http://www/eci.uscorts. gov./web/oce libra.nsf logec 3890569 supra note.

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net